

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 13156 / 5562

दिनांक :- 17-06-2020

कार्यालय आदेश

श्री विजेंद्र चौधरी [लिंक न . 13156] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, (शहर) जोधपुर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 19/02/2019 से 20/02/2019 तक 2 दिवस

दिनांक 25/02/2019 से 28/02/2019 तक 4 दिवस

दिनांक 01/03/2019 से 01/03/2019 तक 1 दिवस

दिनांक 04/03/2019 से 06/03/2019 तक 3 दिवस

दिनांक 13/03/2019 से 13/03/2019 तक 1 दिवस

दिनांक 22/03/2019 से 22/03/2019 तक 1 दिवस

दिनांक 25/03/2019 से 26/03/2019 तक 2 दिवस

कुल 14 दिवस

उक्त कुल 14 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री विजेंद्र चौधरी की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।



(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक :- प 4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न . 13156 / 5562

दिनांक :- 17-06-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, (शहर) जोधपुर।
2. श्री विजेंद्र चौधरी कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, (शहर) जोधपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली



(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)